

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 के नियम 129)

आदेश पत्रक ता० से तक
केस का प्रकार TA Misc. Case No. 39/2019-20

केस का प्रकार TA Misc. Case No. 39/2019-20		आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ												
आदेश पत्रक संख्या क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर													
28.5.19	आवेदक/आवेदिका अर्जुन बोदरा, पिता- गोन्डो बोदरा, जाति- हो (अ.ज.जा.), ग्राम- ईचिन्डा, पो०- चैनपुर, थाना- चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा- ईचिन्डा, थाना नं०- 57, थाना- चक्रधरपुर, खाता नं०- 45, प्लॉट नं०- 530, रकवा- 07 डी०, 556 वर्गकड़ी, क्रेता सुनील माझी, पिता- माझिया माझी, जाति- सथाल (अ.ज.जा.), ग्राम- ईचिन्डा साई, थाना- चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के पास जमीन बक्री/भू-हस्तांतरण हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत अनुमति हेतु आवेदन समर्पित किया है जमीन का विवरण है:- <table><tr><th>मौजा</th><th>थाना सं०</th><th>थाना</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकवा एकड़ में</th></tr><tr><td>ईचिन्डा</td><td>57</td><td>चक्रधरपुर</td><td>45</td><td>530</td><td>07 डी, 556 वर्गकड़ी</td></tr></table> आवेदक को 1,00,000/- (एक लाख) रुपये की आवश्यकता होने के कारण आवेदित भूमि का कुल रकवा 07 डी०, 556 वर्गकड़ी को कुल कीमत 1,00,000/- (एक लाख) रुपये मात्र में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत बिक्री करना चाहते हैं। आम सूचना निर्गत करें और अंचल अधिकारी चक्रधरपुर से अपना जांच प्रतिवेदन स्पष्ट मंतव्य सहित दिनांक 1.5.6.1.9 तक मांग करें। अभिलेख दिनांक 1.5.6.1.9 को उपस्थापित करें।		मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा एकड़ में	ईचिन्डा	57	चक्रधरपुर	45	530	07 डी, 556 वर्गकड़ी
मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा एकड़ में									
ईचिन्डा	57	चक्रधरपुर	45	530	07 डी, 556 वर्गकड़ी									
28.5.19 भूमि सुधार उपसमाहर्ता, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।														

Sum
28.5.19
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।